माननीय वी.के.बाली, न्यायमूर्ति के समक्ष

राजिंदर कुमार खेड़ा,-याचिकाकर्ता
बनाम
हरियाणा राज्य और दूसरा-प्रतिवादी।

सी.डब्ल्यू.पी. 1993 का 8540

26 अप्रैल, 1996

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 14, 226/227—अनुकंपा नियुक्ति—मृतक कर्मचारी के आश्रित को नियुक्ति अनुग्रह योजना—भेदभाव—समान स्थिति वाले अन्य लोगों को निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया जबकि याचिकाकर्ता को उपनिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया—समान स्थिति वाले व्यक्तियों के बीच भेदभाव की अनुमति नहीं दी जा सकती— सरकार में निहित विवेकाधिकार संवैधानिक और सार्वजनिक सीमाओं के अधीन है।

पाया गया कि एकमात्र प्रश्न जिस पर निर्णय की आवश्यकता है वह यह है कि, भले ही, यह एक अनुग्रह योजना है, क्या यह समान स्थिति वाले व्यक्तियों के बीच भेदभावपूर्ण ढंग से लागू हो सकती है?

यह कानून का अब तक स्थापित प्रस्ताव है कि सरकार में निहित विवेक संवैधानिक और सार्वजनिक सीमाओं के अधीन है, सरकार की कार्रवाई कुछ सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए जो तर्क और प्रासंगिकता का परीक्षण कर सकती है। 1979 में सर्वोच्च न्यायालय ने रमना बनाम आई.ए. अथॉरिटी ऑफ इंडिया ए.आई.आर. एस.सी. 1628, पहले दिए गए निर्णयों की संख्या पर भरोसा करने के बाद पाया:-

“इसलिए, इसे अनुच्छेद 14 में निहित समानता के सिद्धांत से आवश्यक परिणाम के रूप में पालन करना चाहिए, हालांकि राज्य किसी के साथ संबंध में प्रवेश करने से इंकार करने का हकदार है, फिर भी यदि वह ऐसा करता है, तो वह मनमाने ढंग से ऐसे संबंधों में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश के लिए नहीं चुन सकता है और समान परिस्थितियों के व्यक्तियों के बीच में भेदभाव नहीं कर सकती ,परंतु इसे कुछ मानक या सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करना चाहिए जो तर्कसंगतता और गैर-भेदभाव की कसौटी पर खरे उतरते हैं और सिद्धांत के ऐसे मानक से कोई भी विचलन तब तक अमान्य होगा जब तक कि इसे कुछ तर्कसंगत और गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर समर्थित या उचित न ठहराया जा सके।"

इस प्रकार, ऊपर उद्धृत सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि विवेक के मामले में भी, सरकार समान रूप से स्थित व्यक्तियों के बीच भेदभाव नहीं कर सकती है।

(पैरा 4 & 5)

इसके अलावा, यह माना जाता है कि यदि राज्य में निरंकुश विवेकाधिकार की अनुमति दी जाती है और कोई मानदंड निर्धारित नहीं किए जाते हैं, तो इसका परिणाम अनिवार्य रूप से उन लोगों के पक्ष में होगा जो सत्ता के गलियारों में प्रभाव डाल रहे हैं और उन सामान्य नागरिकों के साथ पूरी तरह से अलग तरीके से व्यवहार किया जायेगा जिनके पास ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। ऐसे चलन की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि यह निश्चित रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में शामिल समानता खंड का उल्लंघन होगा।

(पैरा 5)

याचिकाकर्ता के वकील पी.एस. सैनी।
जे, सी. सेठी, अतिरिक्त ए.जी. के साथ एन.एस. भिंडर, डी.ए. हरियाणा, उत्तरदाताओं के लिए।

निर्णय

वी. के. बाली न्यायमूर्ति (मौखिक)

(1) इस रिट में जो एकमात्र प्रश्न सामने रखा गया है, वह यह है कि क्या श्री राजिंदर कुमार खेरा को, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर दयालु आधार पर उप निरीक्षक के पद पर या निरीक्षक सहकारी समितियों के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए था? याचिकाकर्ता के समर्थन में मूल तर्क यह है कि भले ही अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति सरकार के विवेक पर है, समान स्थिति वाले व्यक्तियों के संबंध में उक्त विवेक को सार्वभौमिक रूप से लागू किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, सरकार इस विवेक की आड़ में समान स्थिति वाले व्यक्तियों को अलग नहीं कर सकती है और अपने पसंदीदा पसंदीदा को उच्च नियुक्ति नहीं दे सकती है और उन लोगों को कम नियुक्तियां नहीं दे सकती है जो सत्ता के गलियारों में प्रभाव डालने में असमर्थ हैं। ऊपर उल्लिखित प्रश्न, इसके बाद दिए गए स्वीकृत तथ्यों से उत्पन्न होता है।

(2) याचिकाकर्ता के पिता, स्वर्गीय श्री बरकत राम खेड़ा, जो सहकारी समितियों के विभाग में निरीक्षक के पद पर थे, उनकी मृत्यु 16 दिसंबर, 1989 को उस समय हो गई जब वह ड्यूटी पर थे और निरीक्षक सहकारी विपणन सोसायटी चरखी दादरी के पद पर तैनात थे। 22 दिसंबर, 1970 को सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, मृतक परिवार के एक सदस्य की ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर सरकारी सेवा में शामिल करने पर विचार किया जाना है। उपरोक्त निर्देश याचिका के साथ संलग्नक पी-1 के रूप में संलग्न किये गये हैं। निर्देशों को बाद में 13 जुलाई, 1971 के सरकारी पत्र द्वारा संशोधित किया गया था। इसे लिखित विवरण के साथ अनुलग्नक आर-1 के रूप में संलग्न किया गया है। याचिकाकर्ता ने गणित और अर्थशास्त्र के साथ बी.ए. उत्तीर्ण किया और इंस्पेक्टर पद के लिए पूरी तरह से योग्य हुए। इस प्रकार, याचिकाकर्ता की मां ने आवेदन किया कि उनके बेटे को इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। उक्त अभ्यावेदन लेखापरीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां, भिवानी के माध्यम से किया गया था। उक्त अधिकारी ने याचिकाकर्ता के मामले को इंस्पेक्टर पद के लिए अनुशंसित कर दिया क्योंकि वह सभी प्रकार से पूरी तरह योग्य था। उक्त सिफारिश रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा, प्रतिवादी नंबर 2 को भेजी गई थी। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता की योग्यता पर विचार किए बिना प्रतिवादी नंबर 2 ने याचिकाकर्ता के मामले को इंस्पेक्टर के बजाय सब इंस्पेक्टर के पद के लिए मुख्य सचिव को सिफारिश की। याचिकाकर्ता की मां ने रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां से मुलाकात की और अनुरोध किया कि उनके बेटे, जो इंस्पेक्टर के पद के लिए पात्र थे, और उनको इंस्पेक्टर के पद के लिए अनुशंसित किया जाए। हालाँकि, प्रतिवादी नंबर 2 से की गई उसकी विनती का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। इसके बाद उन्होंने 17 अक्टूबर, 1990 के अपने अभ्यावेदन (अनुलग्नक पी-2) के माध्यम से मुख्य सचिव से अपना अनुरोध दोहराया। इसके बाद कई अभ्यावेदन आए। हालाँकि, परिवार पर बहुत दबाव था, याचिकाकर्ता सब इंस्पेक्टर के पद पर उनकी सेवा में शामिल हो गया और यह आश्वस्त होने पर कि उसके साथ सौतेला व्यवहार किया गया, उसने ऊपर बताई गई राहत के लिए वर्तमान याचिका दायर की।

(3) याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील श्री पी.एस. सैनी द्वारा उठाया गया एकमात्र तर्क यह है कि याचिकाकर्ता उत्तरदाताओं को यह विश्वास दिलाने में सक्षम था कि वह उन लोगों के समान था, जिन्हें इंस्पेक्टर का पद दिया गया था, लेकिन केवल याचिकाकर्ता के मामले में प्रतिवादियों ने उसे सब इंस्पेक्टर के पद पर समायोजित करना उचित समझा। वर्तमान याचिका में पैराग्राफ 16 में छह व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, जिनके बारे में यह दलील दी गई है कि उन्हें इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया था और जो तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ता से बेहतर दावा नहीं कर सकते थे। इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों की तिथियां इस प्रकार हैं:-

1. मैम राज	1982 में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति हुई।
2. यशपाल	1983 में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति हुई।
3. महाबीर शर्मा	1987 में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति हुई।
4. इंदर सिंह	1992 में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति हुई।
5. सुनील कुमार	1992 में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति हुई।
6. सुमेर चंद	1991 में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति हुई।

पैराग्राफ में आगे कहा गया है कि उपरोक्त सभी छह व्यक्तियों को इंस्पेक्टर, सहकारी समिति में नियुक्ति दी गई जब उनके पिता की सहकारी विभाग में इंस्पेक्टर, सहकारी समिति के रूप में कार्यरत रहते हुए मृत्यु हुई थी। विद्वान वकील का तर्क है कि याचिकाकर्ता के साथ किया गया यह असमान व्यवहार भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। उत्तरदाताओं की ओर से जो जवाब दाखिल किया गया है , उसमे याचिका में पैराग्राफ 16 में दिए गए कथनों से इनकार नहीं किया गया है। लिखित बयान में यह दलील दी गई है कि क्रम संख्या 1, 3, 4 और 5 के अधिकारियों को इंस्पेक्टर, सहकारी समितियों के रूप में नियुक्त किया गया था, क्योंकि उनके पिता उनकी मृत्यु के समय इंस्पेक्टर सहकारी समितियों के रूप में काम कर रहे थे। जहां तक यशपाल का सवाल है, जिन्हें नंबर 2 पर दिखाया गया है, उनके पिता डिप्टी रजिस्ट्रार थे, इंस्पेक्टर नहीं। लिखित बयान के संगत पैरा में आगे कहा गया है कि नंबर 3 पर दर्शाए गए व्यक्ति को दी गई नियुक्ति गलत तथ्यों के कारण सत्यापित नहीं की जा सकी। यह भी दलील दी गई है कि उपरोक्त अधिकारियों की नियुक्ति इंस्पेक्टर, सहकारी समितियों के पद पर की गई है, लेकिन वास्तव में, मृत कर्मचारी के आश्रित को रोजगार याचिकाकर्ता के तहत जिसका पूरा विवरण ऊपर दिया गया है, अधिक नहीं, तो कम से कम अधिकार की बात है और यदि याचिकाकर्ता उच्च पद में रुचि रखता है, तो वह सक्षम निकाय द्वारा आयोजित परीक्षा में प्रतिस्पर्धा कर सकता है।

(4) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस प्रकार, एकमात्र प्रश्न जिस पर निर्णय की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या, भले ही, यह एक अनुग्रह योजना है, यह समान स्थिति में व्यक्तियों के बीच भेदभावपूर्ण ढंग से लागू हो सकती है।

(5) यह कानून का अब तक स्थापित प्रस्ताव है कि सरकार में निहित विवेक संवैधानिक और सार्वजनिक सीमाओं के अधीन है, सरकार की कार्रवाई कुछ सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए जो तर्क और प्रासंगिकता का परीक्षण कर सकती है। 1979 में सर्वोच्च न्यायालय ने रमना बनाम आई.ए. अथॉरिटी ऑफ इंडिया ए.आई.आर. एस.सी. 1628, पहले दिए गए निर्णयों की संख्या पर भरोसा करने के बाद पाया:-

“इसलिए, इसे अनुच्छेद 14 में निहित समानता के सिद्धांत से आवश्यक परिणाम के रूप में पालन करना चाहिए, हालांकि राज्य किसी के साथ संबंध में प्रवेश करने से इंकार करने का हकदार है, फिर भी यदि वह ऐसा करता है, तो वह मनमाने ढंग से ऐसे संबंधों में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश के लिए नहीं चुन सकता है और समान परिस्थितियों के व्यक्तियों के बीच में भेदभाव नहीं कर सकती ,परंतु इसे कुछ मानक या सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करना चाहिए जो तर्कसंगतता और गैर-भेदभाव की कसौटी पर खरे उतरते हैं और सिद्धांत के ऐसे मानक से कोई भी विचलन तब तक अमान्य होगा जब तक कि इसे कुछ तर्कसंगत और गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर समर्थित या उचित न ठहराया जा सके।"

इस प्रकार ऊपर उद्धृत सुप्रीम कोर्ट के अवलोकनों से यह स्पष्ट है कि विवेक के मामले में भी सरकार समान स्थिति वाले व्यक्तियों के बीच भेदभाव नहीं कर सकती है। इस मामले में याचिकाकर्ता की दलीलों को पूरी तरह से अस्वीकार न करने के कारण यह साबित हो गया है कि यदि अधिक नहीं, तो कम से कम चार व्यक्ति जो याचिकाकर्ता के बराबर स्थिति में थे, इंस्पेक्टर के पद पर थे, जबकि याचिकाकर्ता को केवल सब इंस्पेक्टर का निचला पद देकर भेदभाव किया गया। यदि राज्य को निरंकुश विवेकाधिकार की अनुमति दी जाती है और कोई मानदंड निर्धारित नहीं किए जाते हैं, तो इसका परिणाम अनिवार्य रूप से उन लोगों के पक्ष में होगा जो सत्ता के गलियारों में प्रभाव डाल रहे हैं और जिन सामान्य नागरिकों के पास ऐसा प्रभाव नहीं है, उनके साथ पूरी तरह से एक अलग तरीके से व्यवहार किया जाएगा। ऐसे चलन की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि यह निश्चित रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में शामिल समानता खंड का उल्लंघन होगा।

(6) ऊपर बताए गए कारणों से यह याचिका स्वीकार की जाती है। उत्तरदाताओं को एक निर्देश जारी किया जाता है की याचिकाकर्ता को निरीक्षक के पद की पेशकश की जाए यदि वह अन्यथा इस पद के लिए अर्हता प्राप्त करता है और विवाद के तहत पद के लिए उसके पास अच्छा पूर्ववृत्त है या हो सकता था। इस स्तर पर प्रतिवादियों को यह निर्देश देना संभव नहीं है कि याचिकाकर्ता को उस तारीख से इंस्पेक्टर नियुक्त माना जाए जब उसे सब इंस्पेक्टर के पद की पेशकश की गई थी और इसलिए, आज उसके पक्ष में दिए गए फैसले के आधार पर,वह वेतन या वरिष्ठता में अंतर का दावा करने का हकदार नहीं होगा। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं होगा कि राज्य याचिकाकर्ता को पद की पेशकश करने में बहुत लंबा समय लेगा और इसलिए, उत्तरदाताओं को आज से कुछ महीनों के भीतर आवश्यक अभ्यास करने के लिए एक और निर्देश जारी किया जाता है। पार्टियों को अपना खर्च स्वयं वहन करना होगा ।

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

रजत कुमार कनौजिया

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

फ़रीदाबाद,हरियाणा